न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र.- /2014/निगरानी R-2555-II/14

आवेदक - हनुमंत सिंह पुत्र देवेन्द्र प्रताप सिंह राजपूत उम्र 50 वर्ष व्यवसाय कृषि ग्राम दावतपुर तहसील राधौगढ जिला गुना (म.प्र.)

श्री एस.एल. चौकसे Adv. द्वारा आज दि. 12/8/14 को प्रस्तुत
12-8-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

अनावेदकगण - 1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह निवासी करमाखेडी तहसील राधौगढ जिला गुना (म.प्र.)
2. गुलाब बाई बेवा पत्नि अयोध्या प्रसाद जैन निवासी करमाखेडी तहसील राधौगढ जिला गुना (म.प्र.)
3. श्रीमती अनिता पत्नि वीरेन्द्र कुमार जैन निवासी ग्राम गोलाखेडी तहसील व जिला गुना (म.प्र.)
4. श्रीमती कमलेश पत्नि हरप्रसाद साहू निवासी निवासी करमाखेडी रूठियाथी तहसील राधौगढ जिला गुना (म.प्र.)

SL Counsel
12/8/14

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 14/07/2014 पारित न्यायालय तहसीलदार राधौगढ जिला गुना प्रकरण क्रमांक 47/अ-74/2011-2012

माननीय न्यायालय,

-2

आवेदक की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य-

1. यहकि ग्राम करमाखेडी तहसील राधौगढ जिला गुना में स्थित भूति सर्वे क्रमांक 26 रकवा 0.554 हेकटर के अयोध्या प्रसाद पुत्र श्री जयनारायण के स्वत्व एवं आदिपत्य की कृषि भूमि है। जिसके पास ही आवेदक के स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 27 लगा हुआ है।
2. यहकि आवेदक क्रमांक 1 महेन्द्र सिंह ने विक्रय पत्र द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 26 मे से मिन रकवा 0.314 हेक्टर क्रय किया गया था। जो सर्वे क्रमांक 26 के बटा 26/1 रकवा 0.135 हेक्टर भूमि स्वामि उत्तराधिकारी गुलाब बाई को मिला तथा बटा नम्बर 26/2 रकवा 0.314 हेक्टर अनावेदक क्रमांक 1 महेन्द्र को प्राप्त हुआ जिस पर 1995 से काविज है
3. यहकि सर्वे नम्बर 26 के अन्य बटा 26/3, 26/4, 26/1/5, किये गये जो अपने स्वामित्व के भू भागों पर काविज थे। अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा क्रय सर्वे नम्बर 26/2 के स्थान पर खसरा में 26/2 दर्ज होना चाहिए

(16)

-2-

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग/2555/दो/2014 जिला-गुना

हनुमंत सिंह विरूद्ध महेन्द्र सिंह

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-04-2018	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0एल0 धाकड़ उपस्थित। अनावेदक क्रमांक 1 व 4 के अधिवक्ता श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित। अनावेदक 2 व 3 एक पक्षीय होकर उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं। 2- यह निगरानी तहसीलदार राधोगढ़ जिला गुना के प्रकरण क्रमांक 47/अ-74 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 14.07.2014 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। 3- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। उनके द्वारा अपने तर्क में मुख्यत: वही तथ्य दुहराए जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां दुहराया जाकर लेखबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु उन पर विचार किया गया है। इसके अतिक्त उनके द्वारा मुख्य रूप से इस तथ्य पर जोर दिया गया कि विवादित सर्वे क्रमांक 26 के संबंध में अस्पष्ट प्रतिवेदन सह.अधी.भू.अभि. द्वारा दिया गया है। प्रतिवेदन एवं उसके संलग्न नक्शा अक्स में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है ऐसे अस्पष्ट प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर को प्रतिवेदन तहसीलदार द्वारा भेजा जाना न्याय संगत नहीं होगा पुन: स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त कर कलेक्टर की ओर भेजे जोने के अनुरोध के साथ प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 14.07.2014 निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। 4- अनावेदक 1 व 4 के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि तहसीलदार का प्रश्नाधीन आदेश सहा.अधी.भू.अभिलेख के प्रतिवेदन के आधार पर तैयार किया जा रहा है वहीं यह भी कहा गया तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति ठीक ही निरस्त की गयी है तहसीलदार का आदेश स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।	

प्रकरण क्रमांक निग/2555/दो/2014 जिला-गुना

हनुमंत सिंह विरूद्ध महेन्द्र सिंह

5- उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा उस पर विचार किया गया। निगरानी में अंकित विन्दुओं तथा तर्क के दौरान उठाए गये तथ्यों के संबंध में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 14.07.2014 का भी परीक्षण किया गया। परीक्षण करने पर पाया गया कि अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा सहा.अधी.भू-अभिलेख के प्रतिवेदन दिनांक 11.08.2011 को आधार मान कर आवेदक की आपत्ति दिनांक 23.10.2013 को अत्यंत बिलम्ब से मानते हुए निरस्त कर दिया गया किन्तु आपत्ति आवेदन में उठाए गये बिन्दुओं के संबंध में कोई विष्लेषण अपने आदेश में नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में संलग्न सहायक अधीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 11.08.2011 का अवलोकन करने पर पाया गया कि उसमें क्रेताओं की मौके पर भूमि खसरे में अंकित बटे नम्बरों के मुताबिक कहां पर होगी यह स्पष्ट नहीं है वहीं यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि जब खसरे में बटे अधिक अंकित है तब नक्शा अक्स में सभी बटे नम्बर अंकित क्यों नहीं है यह भी स्पष्ट नहीं है कि कौन सा बटे नम्बर किस हितधारी का है। ऐसी स्थिति में प्रतिवेदन व संलग्न अक्श नक्शा में भिन्नता है वहीं प्रतिवेदन दिनांक 11.08.2011 भी अस्पष्ट है। ऐसी स्थिति में अस्पष्ट प्रतिवेदन के आधार पर की जा रही तहसीलदार की कार्यवाही आदेश दिनांक 14.07.2014 दो माह के लिए स्थगित की जाती है तथा तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वे मौके की स्थिति एवं हितवद्ध पक्षकारों के पास उपलब्ध अभिलेख पटवारी अभिलेख के आधार पर अभिलेख से परस्पर मिलान करते हुए समस्त हितधारी पक्षकारों के समक्ष जांच कार्यवाही करते हुए पुन: स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त करें, तदनुसार न्यायहित में स्पष्ट एवं बोलता हुआ प्रतिवेदन उक्त नियत समयावधि में कलेक्टर की ओर भेजें ताकि उपस्थित विवाद का निराकरण हो सके। साथ ही पक्षकारों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे सक्षम आधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर उक्त कार्यवाही में सहयोग करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापिस किया जावे। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य